न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 15/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/170

1. कमल सिंह पुत्र मस्तराम उर्फ मस्तुराम पुत्र प्यार सिंह पुत्र दित्तूराम निवासी टुटवां मौजा फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा(हि.प्र.)

—अपीलार्थी

बनाम

1. शकुन्तला देवी पत्नी
2. रघुवीर सिंह पुत्र
3. कुलवीर सिंह पुत्र
4. युद्धवीर सिंह पुत्र
5. सेवा देवी पुत्री
6. नीलमा देवी पुत्री
7. नरेश कुमारी

मस्तराम उर्फ मस्तुराम पुत्र प्यार सिंह पुत्र दित्तूराम निवासी टुटवां मौजा फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा(हि.प्र.)

8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उपतहसीलदार भू.अ. जैतसर

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. श्री मनोहरलाल अरोड़ा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री मूलाराम जांगू, श्री दिनेश कामरा अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 2 व 4
3. अनुपस्थित, प्रत्यर्थी सं. 1,3,5,6,7

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 31/07/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. अपील प्रकरण(प्र.सं. 66/22) पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ से क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। अपीलार्थी द्वारा उपतहसीलदार जैतसर के द्वारा प्र.सं. 26/2020 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2021 जिसके द्वारा चक 1 जेकेएम के प.नं. 161/373 मु.नं. 28 की 6.175है. भूमि का वसीयत के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं से व्यथित होकर यह अपील मय प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आ. 41 नि. 27 व धारा 151 सीपीसी मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु निवेदन किया गया हैं।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। प्रत्यर्थी सं. 2 व 4 जरिए अधिवक्ताा उपस्थित आए। प्रत्यर्थी की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम, प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आ. 41 नि. 27 व धारा 151 सीपीसी का जवाब पेश किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण की अपील एवं प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनी गयी।
3. अपीलार्थी अधिवक्ता अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि प्यारू पुत्र दीतू को आवंटित हुई थी। जो वसीयतकर्ता अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं. 1 से 7 के पति/पिता मस्तराम उर्फ मस्तुराम की पैतृक सम्पत्ति नहीं थी जिस कारण वह वसीयत करने के अधिकारी नहीं थे। प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 द्वाा तथाकथित वसीयत मस्तराम की मानसिक व शारारिक अस्वस्थ हालत का फायदा उठाते हुए तैयार कर पंजीकृत करवा ली। वसीयत फर्जी हैं। वसीयत हिमाचल प्रदेश में की गयी हैं। वसीयत के हिमाचल प्रदेश न्यायालय में चुनौति दी जा चुकी हैं। जिसमें अपीलार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश जारी हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी एवं वसीयतकर्ता के सभी वारिसान को सुनवाई का अवसर दिए बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया गया हैं। अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पक्षकार नहीं थे ना ही उन्हें प्रकरण का ज्ञान था क्योंकि वे हिमाचल प्रदेश रहते हैं। अधिनस्थ न्यायालया द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं इसलिए प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए अपील अन्दर मियाद ग्रहण करने हेतु निवेदन किया तथा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

पर लेते हुए अपीलाधीन आदेश विधि विपरीत होने के कारण निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

4. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि प्रत्यर्थीगण के पिता मस्तराम उर्फ मस्तुराम की स्वअर्जित सम्पति थी। जिसे अपीलार्थी द्वारा स्वयं अपील के मद सं. 2 में स्वीकार किया गया हैं। मस्तराम व मस्तुराम को वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। अपीलार्थी अपील से प्रभावित नहीं हैं प्रत्येक व्यक्ति को वसीयत करने का अधिकार हैं प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं हैं। अपील 1 वर्ष की अवधि पश्चात की गयी हैं। अपीलार्थी को वसीयत का प्रारम्भ से ज्ञान था। देरी हेतु ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया हैं। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं। वसीयत पंजीकृत हैं जो प्रथम दृष्टया सही हैं। वसीयत के संबंध में सिविल न्यायालय द्वारा ही निर्णय किया जा सकता हैं। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश सही हैं। अपील अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

5. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आ. 41 नि. 27 व धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर जिन दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु निवेदन किया गया हैं वह किसी सक्षम स्तर/न्यायालय से प्रमाणित नहीं हैं जिस कारण उनकी प्रमाणिकता संदेहास्पद हैं। जिस कारण उक्त दस्तावेजों पर विश्वास नहीं किया जा सकता हैं। उक्त दस्तावेजों का अवलोकन किया। दस्तावेज प्यारू पुत्र दित्तू को भूमि आवंटन से संबंधित हैं परन्तु अपीलार्थी द्वारा अपने अपील पत्र में अंकित किया हैं कि भूमि अपीलार्थी के पिता मस्तराम को आवंटित हुई हैं। अपीलार्थी के कथनों एवं दस्तावेजों में विरोधाभास हैं ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाता समीचीन नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता हैं।

6. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया गया हैं। अपीलार्थी का कथन हैं कि वसीयत को उनके द्वारा सिविल न्यायालय हिमाचल प्रदेश में चुनौति दी जा चुकी हैं। अपीलार्थी द्वारा अपील पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज मा. सिविल न्यायालय नूरपुर जिला कांगड़ा हि.प्र. के प्रकरण कमलजीत सिंह बनाम रघुवीर सिंह आदि की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति पेश की गयी हैं। जिसका अवलोकन करने पर पाया कि अपीलार्थी द्वारा वसीयत दिनांक शून्य घोषित करने का वाद पेश किया गया हैं जो कि सितम्बर 2020 में प्रस्तुत किया गया हैं। यह तो स्पष्ट हैं कि अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश जिस वसीयत के आधार पर पारित हुआ हैं उसकी जानकारी थी। अपीलार्थी द्वारा मा. सिविल न्यायालय से उक्त वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज नहीं करवाने बाबत निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रत्यर्थीगण पारित करने की भी प्रार्थना पत्र की गयी हैं। आलौच्य आदेश दिनांक 28.01.2021 का हैं। अपलार्थी द्वारा अपील माह अप्रेल 2022 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की हैं।

7. इस प्रकार अपीलार्थी को वसीयत के प्रत्यर्थीगण के पक्ष में होने एवं प्रत्यर्थीगण वसीयत के आधार पर अपने नाम इंतकाल करवा सकते हैं इसका भलीभांति ज्ञान होने के बावजूद भी अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से आधार पर किए गये इंतकाल की जानकारी से दूर रहे हो, सद्भावी नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा अलौच्य आदेश का ज्ञान पटवारी हल्का से सर्वप्रथम होने का अंकन किया गया हैं जिसके पश्चात उनके द्वारा दिनांक 18.04.2022 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की गयी हैं। परन्तु इस संबंध में कोई साक्ष्य/शपथ पत्र पटवारी पेश नहीं किया गया हैं। प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत मा. उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर के द्वारा डीबी सिविल स्पेशल अपील(रिट) नं. 800/2014 स्टेट बनाम राज. सहकारी बैंक कर्मचारी संघ ईकाई अजमेर आदि में पारित निर्णय दिनांक 28.04.2015 के आलोक में दिन प्रतिदिन अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी क्षमा योग्य नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अपील निरस्त किये जाने योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी के अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 31/07/2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)